UPSI120009942024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785
दीवानी वाद संख्या-244/2024
फिरोज बनाम दारा उर्फ सगीर आदि।

दिनाँक 29.07.2024

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत विभजन व स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनाँक 31.08.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनाँक 13.09.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6 ग 2

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से दौरान वाद प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा वादीय दुकान प्रदर्शित नक्शा नजरी वाद पत्र अक्षर अ,ब,स,द स्थित ग्राम जलालपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर में वादी के शान्तिपूर्ण स्वामित्व व अधिपत्य में हस्तक्षेप करने, जबरदस्ती कब्जा करने व दुकान में लगी मशीनों एवं उपकरणों को उठाकर ले जाने एवं दुकान में लगी मशीनों व उपकरणों में तोड़ फोड़ करने व दुकान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की क्षति पहुँचाने व कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने से निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11 ग से कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर एकपक्षीय रुप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनाँक 23.08.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8 ग 2

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 8 ग 2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।कमीशन कार्य हेतु वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.07.29 15:55:09 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan